प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0
चतुर्थ तल,नवचेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा–43/3(x)2020–21/619 दिनांक 29 मई, 2020

विषय : कोरोना वाायरस से संकमित आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के उपचार हेतु दरों का निर्धारण एवं उनके उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से जूझ रहा है। इस वायरस की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। प्रदेश में यह वायरस धीरे–धीरे अपने पांव पसार रहा है। प्रदेश में ही नहीं अपितु विश्व के अधिकांश देशों मे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित रोगी/संदिग्ध रोगियों के समयान्तर्गत समुचित उपचार हेतु पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अत्यन्त हीं आवश्यक है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–12015/30/2019–NHA(HNW & QA) दिनांक 16.04.2020 एवं उसके साथ संलग्न मार्ग निर्देश एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–12015/20/2020–NHA (HN & QA) दिनांक 04.04.2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या–12015/20/2020–NHA(HN & QA) दिनांक 13.04.2020 द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के उपचार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सहमति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये है कि सम्बन्धित राज्य अपने स्तर से कोई भी प्रारूप (Model) निर्धारित कर सकते है। उपरोक्त के दृष्टिगत कोरोना वायरस से संकमित योजना के लाभार्थियों के उपचार हेतु निम्न दरें निर्धारित की गयी हैं:–

क्र.स.	शैया श्रेणी	संस्तुत दर प्रति शैया प्रति दिन की दर से (रू0 में)
1.	जनरल वार्ड (आईसोलेशन)	1800/–
2.	हाई डिपेंडेन्सी यूनिट (आईसोलेशन)	2700/–
3.	आई0सी0यू0 वैन्टीलेटर रहित	3600/–
4.	आई0सी0यू0 वैन्टीलेटर सहित	4500/–

कोविड–19 से संकमित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के उपचार हेतु टी0एम0एस0 मे निम्नलिखित Dedicated Packages की व्यवस्था की गयी है:–

About Speciality	
Speciality code HBP 2.0	ID
Speciality Name	Infectious Diseases
Package Code HBP 2.0	ID003UP
ABPMJAY Package Name	Treatment of COVID 19 Infection

About Procedure	
Procedure Code HBP 2.0	ID003UPA
ABPMJAY Procedure Name	Treatment of COVID 19 Infection

Stratification Code	Stratification Detail	Stratification Option	Procedure Price
STRAT333a	Bed Category	General Ward	Rs. 1800/-
STRAT333b	Bed Category	HDU Ward	Rs. 2700/-
STRAT333c	Bed Category	ICU without Ventilator	Rs. 3600/-
STRAT333d	Bed Category	ICU with Ventilator	Rs. 4500/-

Mandatory Document	
Pre-Authorization	Testing Form for COVID-19 (Positive Test Report),Clinical Note
Claim Processing (Initiation)	Negative Testing Report for COVID-19 at the time of discharge, Clinical Note

आप अवगत ही हैं कि आपके जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु शासन द्वरा कोविड–19 डेडिकेटेड चिकित्सालयों को एल–1,एल–2 एवं एल–3 के रूप में अधिसूचित किया गया है जिनमें कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया आप अपने जनपद के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों, जिन्हें कोविड–19 डेडिकेडेट चिकित्सालय घोषित किया गया है, जहां संक्रमित रोगियों का उपचार किया जा रहा है, को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह उक्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु भर्ती रोगियों में से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को चिन्हांकित कर उक्त Packages से अवगत कराते हुए उन्हें उपयोग करने हेतु अवगत करायें, जिससे कि कोरोना वायरस से संक्रमित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का उपचार किया जाना सुनिश्चित हो सके।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत उन्हीं का उपचार किया जा सकता है जो गोल्डेन कार्ड धारक हों, यदि योजनान्तर्गत चिन्हित लाभार्थी का गोल्डेन कार्ड नहीं बना है तो आरोग्य मित्र के माध्यम से उसका गोल्डेन कार्ड बनवाकर सम्बन्धित का उपचार कराया जाना सुनिश्चित करें। कोविड–19 संक्रमण के चलते वर्तमान में योजनान्तर्गत उपचार प्रदान करने हेतु TMS में Bio-metric Authetication की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। उक्त निर्धारित प्रक्रिया से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराने कष्ट करें।

भवदीया,

29/05/2020

(संगीता सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 / पत्रा– / 2020–21 / लखनऊ, दिनांक मई, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3–समस्त आई0एस0ए0 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

(संगीता सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी